आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

20.11.2018

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-47/2018

सबीना खातून, पति-नैयर आलम, सा0-दोघरिया, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया ।

.... अपीलार्थी

1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डगरूआ ।
3. अकबरी बेगम, पति-मो0 सोहराब, सा0-दोघरिया, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया ।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-398/जि0प्रो0, दिनांक-16.03.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड नं0-02, पंचायत-टौली, परियोजना-डगरूआ** के **सेविका** पद से संबंधित है। आज की सुनवाई में उभय पक्ष उपस्थित ।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि दिनांक 20.09.2017 को आयोजित आम-सभा गुप्त तरीके से करते हुए उत्तरवादी सं0-03 का चयन किया गया है। उत्तरवादी सं0-03 के पति, सउदी अरब में उर्दू मुस्लिम हाई स्कूल में अंर्तराष्ट्रीय ड्राईवर हैं, जिनका मासिक बेतन 20,000.00 रूपये से अधिक है। इस प्रकार आंगनबाड़ी मार्गदर्शिका-2016 के कंडिका 06 में तहत् उत्तरवादी सं0-03 चयन की योग्यता नहीं रखते हैं। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नहीं देखा गया। अतुएव माननीय न्यायालय से अनुरोध हे कि उत्तरवादी सं0-03 का चयन रद्द करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाय ।

उत्तरवादी सं0-03 द्वारा इस वाद में विभिन्न तिथियों को उपस्थिति दी गई, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया। इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के पत्रांक 815/जि0प्रो0 दिनांक 13.06.18 के द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित है कि आम-सभा

का आयोजन गुप्त तरीके से नहीं हुआ है। उत्तरवादी सं0-03 के पति सरकारी/गैर सरकारी नियोजन में कार्यरत नहीं हैं।

अपील आवेदन, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी का अंक मेधा सूची में 63.58 है तथा उत्तरवादी सं0-03 का अंक मेधा सूची में 72 प्रतिशत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के साथ यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि उत्तरवादी सं0-03 के पति सरकारी/गैर सरकारी सेवा में नियोजित हैं तथा उनका मासिक आय 12,000.00 रूपये से अधिक है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतएव **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के आदेश ज्ञापांक 398/जि0प्रो0 दिनांक 16.03.18 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डगरूआ** एवं **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।